कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री राकेश कुमार सैनी, प्रधानाचार्य, श्री विनोद कुमार नागा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा धोध जिला सीकर का स्थानान्तरण शहीद बलवीर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजोद जिला नागौर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री राकेश कुमार सैनी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1356/2021 राकेश कुमार सैनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 1356/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 20.01.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री राकेश कुमार सैनी के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में याचिकार्थी श्री राकेश कुमार सैनी श्री विनोद कुमार नागा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा धोध (213258) जिला सीकर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगे एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री दुलीचन्द का समायोजन शहीद बलवीर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजोद(213438) जिला नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/राकेश/याचिका/1356/21 **दिनांकः** 27.01.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर/चूरू संभाग, अजमेर/चूरू।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर/सीकर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, नागौर/सीकर।
6. संबंधित मुख्या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)